B- 3 & 4
L- 07
I. Polity

मूल अधिकार:- सामाजिक परिवर्तन के दस्तावेज के रूप में :-

• अनुच्छेद 14 का ही विस्तार अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 है क्योंकि अनुच्छेद 15 में यह उल्लेखित है कि राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा। जिसका अभिप्राय है कि राज्य के द्वारा निर्मित किसी विधि में उपरोक्त आधारों पर भेदभाव नहीं किया जायेगा तथा राज्य के द्वारा निर्मित किसी कार्यक्रम में उपरोक्त आधारों पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।

KGS KHAN GLOBAL STUDIES IAS Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

• अनु० 15 के खण्ड 1 और खण्ड 2 में विधि के समक्ष समानता का विचार विद्यमान है लेकिन अनु० 15 के खण्ड 3 से 6 के बीच में विधि के समान संरक्षण का विचार किया गया है इसलिए यह कहा जाता है कि अमेरिका का मूल अधिकार निरपेक्ष है जबकि भारत में इस पर अनेक प्रतिबंध आरोपित किये गए हैं। इसलिए संविधान में यह उल्लेखित है कि महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे।
[अनु० 15(3)]

मूल अधिकार एवं निदेशक तत्व के बीच का पहला टकराव

मूल अधिकार	निदेशक तत्व
(i) अनु० 15 (1)	(i) शासन का मूलभूत सिद्धांत (अनुच्छेद 37)
(ii) अनु० 29 (2)	(ii) अनु० 46

1.) मूल अधिकार एवं निदेशक तत्व के बीच का पहला विवाद 'चम्पकम दोराई राजन वाद में उत्पन्न हुआ जहाँ उच्चतम न्यायालय ने, मद्रास सरकार द्वारा दिये गये आरक्षण को रद्द कर दिया। परिणाम स्वरूप उच्चतम न्यायालय के निर्णय को परिवर्तित करने के लिए संसद के द्वारा पहला संविधान संशोधन किया गया और अनु० 15 का खण्ड 4 जोड़ा गया।

2.) अनु० 15 (4) में यह उल्लेखित किया गया कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे।

3.) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का निर्धारण पहले ही कर दिया गया था। (भारत शासन अधिनियम 1935)

KGS IAS

4.) सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग के पहचान के लिए अनुच्छेद 340 का सहारा लिया गया। जिसमें यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति के द्वारा पिछड़े वर्गों की जाँच के लिए और उनके उत्थान हेतु एक आयोग का गठन किया जायेगा।

5.) इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित आयोगों का गठन किया गया:-

- 1953 - काका कलेलकर आयोग
- 1979 - बी॰ पी॰ मण्डल आयोग

मंडल आयोग ने कहा कि भारत में पिछड़ी जातियां ही पिछड़े वर्ग में शामिल हैं।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण :-

- संघ सरकार के द्वारा वर्ष 1990 में केन्द्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं में आरक्षण की घोषणा की गयी। (बी॰ पी॰ सिंह सरकार)

(ii) इसके बाद वर्ष 2006 में मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा 93 वाँ संशोधन किया गया तथा संविधान में अनु॰ 15 (5) को जोड़ा गया।

जिसके अनुसार, केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में (2005) तथा निजी शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया जाएगा। निजी शैक्षणिक संस्थाएँ सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही है अथवा नहीं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन यह आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए लागू नहीं होगा।

आर्थिक पिछड़ापन :

- 103 वाँ संविधान संशोधन (2019) के द्वारा पहली बार संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन [EWS] का प्रावधान किया गया जिसके तहत अनु॰15 में खण्ड 6 को जोड़ा गया।
- EWS के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए राज्य विशेष उपाय करेगा तथा केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों व निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाएगा जो 10% से अधिक नहीं होगा।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR